



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57181

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 8381 वर्ष 2026

अयान @ पच्चीस

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: जमाल हसन, मेहदी अब्बास

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिपक्षी की ओर से उपस्थित श्री अजय कुमार सिंह, ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 483 के अंतर्गत, आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि मुकदमा अपराध संख्या 618 वर्ष 2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलन्दशहर में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनावश इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। गैंग चार्ट में उल्लिखित आपराधिक इतिहास का समुचित स्पष्टीकरण जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में प्रस्तुत किया गया है तथा यह भी निवेदन किया गया है कि गैंग चार्ट में वर्णित सभी प्रकरणों में आवेदक को जमानत प्रदान की जा चुकी है।

यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक किसी गैंग का सदस्य, नेता अथवा संगठक नहीं है तथा उसने अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में वर्णित किसी गैंग की गतिविधियों में न तो सहयोग किया है और न ही उसका अभिप्रेरण किया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से पलायन करने अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक दिनांक 13.08.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा यह आश्वासन देता है कि जमानत पर रिहा होने पर स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालयों में वादों की अत्यधिक लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के अधिवक्ता द्वारा **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 एस.सी.सी. 648** में पारित निर्णय पर भी निर्भरता व्यक्त की गई है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक वादों का लंबित होना मात्र जमानत अस्वीकृत करने का आधार नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से प्रस्तुत ए.जी.ए. द्वारा जमानत प्रार्थना का प्रभावी विरोध नहीं किया गया तथा आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए वादों के अतिरिक्त कोई अन्य वाद इंगित नहीं किया गया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अभिलेख पर उपलब्ध समस्त तथ्यों, आरोपों की प्रकृति तथा साक्ष्यों का सम्यक् विचार करते हुए तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बिना वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए, न्यायालय यह पाता है कि जमानत प्रदान किए जाने का उपयुक्त मामला बनता है। अतः वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकृत** किया जाता है।

आदेशित किया जाता है कि आवेदक **अयान @ पच्चीस** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करे।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव या भय उत्पन्न नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथियों पर, (i) वाद के उद्घाटन, (ii) आरोप निर्धारण तथा (iii) कथन के अभिलेखन के समय, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक यह उपबंध प्रस्तुत करेगा कि जब साक्ष्य के लिए तिथि नियत हो और साक्षी उपस्थित हों, तब वह किसी प्रकार का स्थगन आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक सीमित रहेगी तथा वाद के गुण-दोष पर किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं मानी जाएगी। विचारण न्यायालय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

दिनांक : 19 मार्च, 2026

पी.के.एस.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"